

बिहार सरकार
नगर विकास एवं आवास विभाग

॥ कार्यालय आदेश ॥

सं०सं०-03/SBM-01-30/2018

511

/न०वि०एवंआ०वि०

Plastic Waste Management Rule- 2016 के अनुपालन हेतु राज्य के सभी स्थानीय शहरी नगर निकायों में व्यापक प्रचार - प्रसार किया जाना आवश्यक है, ताकि आम जनों को प्लास्टिक के उपयोग पर पूर्ण प्रतिबंध लगाने एवं इसके उपयोग के दूष परिणामों से अवगत कराया जाना प्रस्तावित है | प्रचार - प्रसार कार्यक्रम को लगातार प्रिंट मीडिया एवं इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के माध्यम से प्रसारित कराया जाना है | इसके लिए IEC कोषांग का गठन किया जाता है | इस कोषांग में निम्न IEC Expert शामिल होंगे:-

क्र० सं०	कर्मि का नाम	योजना अंतर्गत PMU / PMC
1	शान्तनु दास	IEC Expert, PMU-SBM
2	कौशिक कुमार नन्दी	Communication Manager, SPMG
3	रानी चौबे	State Mission Manager, IEC, DAY-NULM
4	विवेक कुमार पाण्डेय	IEC Zonal Head, DAY-NULM
5	रमेश चंद्र देव	IEC Zonal Head, DAY-NULM
6	राहुल देव	IEC Zonal Head, DAY-NULM

उपरोक्त सभी कर्मि मुख्यालय कार्यालय के कमरा संख्या-18 में सप्ताह के प्रत्येक शुक्रवार को एक साथ बैठेंगे तथा प्लास्टिक प्रतिबंध प्रचार - प्रसार से संबंधित सभी सामग्री तैयार करेंगे एवं IEC का पूर्ण Strategy का सफल क्रियान्वयन सुनिश्चित करेंगे |

2. श्रीमति इंदु कुमारी, OSD (SBM) इस कोषांग की नोडल पदाधिकारी होंगी |
3. प्रस्ताव पर प्रधान सचिव का अनुमोदन प्राप्त है |

विश्वासभाजन,

ह०/-

विशेष सचिव,

नगर विकास एवं आवास विभाग,


बिहार, पटना |

ज्ञापांक-03/SBM-01-30/2018

2417

पटना/ दिनांक- 01/10/18

प्रतिलिपि:-प्रधान सचिव के आप्त सचिव / संबंधित सभी कर्मि / Team Leader, SBM-PMU / Team Leader, PDMC-AMRUT / Team Leader, DAY-NULM एवं MIS Cell, पटना को सुचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित |


विशेष सचिव |